

दूल बाद में डिफ्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) श्रीमत् मोतीलाल बड़ा

पीठासीन अधिकारी :- राहुल शर्मा RAS

उत्पन्न
प्रतीक कुमार आदि बनाम रापस्थान-सरकार

दस्तावेज का संख्या क्रमांक : 108/2021

निर्णय दिनांक :- 18-11-2021

वादी की ओर से स्वयं को व प्रतिवादी की ओर से श्रीमत् मोतीलाल बड़ा की उपस्थिति में इस बात में आज तारीख 18-11-21 को राहुल शर्मा RAS (पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अतिरिक्त निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिफ्री दी जाती है कि -

श्रीमत् मोतीलाल बड़ा की ओर से श्रीमत् मोतीलाल बड़ा को निवास स्थान बाराक गिबोका का आदेश दिया जाता है। श्रीमत् मोतीलाल बड़ा को निवास स्थान बाराक गिबोका का आदेश दिया जाता है। श्रीमत् मोतीलाल बड़ा को निवास स्थान बाराक गिबोका का आदेश दिया जाता है। श्रीमत् मोतीलाल बड़ा को निवास स्थान बाराक गिबोका का आदेश दिया जाता है।

दोनों पक्षों का ध्यान देना चाहेंगे।

यह आज तारीख 18-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी है।



(राहुल शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

बाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1. बाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शन के लिए स्टाम्प	फ्लॉउर की फीस
4. ... रूपरेखा पर फ्लॉउर की फीस	समझौतों के लिए निवाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निवाह व्यय	आदेशिका की तारीख
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तारीख	
जोड़	जोड़



ना 108/2021 884
22-11-2021